फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री शांतिलाल

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :– श्री शंकरलाल

पत्रावली संख्या : 54/22

GCMS: 2022/94

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.07.2022	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1, 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षीगण संख्या 1, 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीगण की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की खसरा संख्या 2689, 2958 किता 2 क्षेत्रफल 0.2700 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू–प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) भीण्डर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner